## [17 December, 1999] \* RAJYA SABHA

Petrochemicals Corporation Limited, Vadodara, Gujarat, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Corporation. [Placed in Library. For (a) and (b) See No.LT-774/99]
- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. For (a) and (h) See No.LT-773/99]
  - I. Notification of Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution
  - II. Report and Accounts (1998-99) of Central Warehousing Corpration and related papers

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): श्रीमन, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- 1. भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा(3) के अधीन केन्द्रीय भांडागारण निगम(संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग) की सा.का.नि. 644 (अ) दिनांक 20.9.1999 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.848/99]
- ॥. भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 उपधारा (11) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-
- (क) 1998-99 के वर्ष के लिए केन्द्रीय भांडागारण निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापीरक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

RAJYA SABHA [17 December, 1999] (ख) उपर्युक्त् निगम के कार्यारण की सरकार द्वारा समीक्षा [पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल.टी.849/99]

- I. Notification of Ministry of Human Resource Development.
- II. Report and Accounts (1996-98) of various Universities and related papers.
- III. Report and Accounts (1997-98) of Auroville Foundation, Auroville Tamil Nadu and related papers.
- IV. Report and Accounts (1997-98) of various Regional Engineering Colleges and Technology Institutes and related papers.
- V. Report and Accounts (1997-98) of various Primary Education Institutes and Educational Planning and Administration Institute.
- VI. Report and Accounts (1998-99) of various Women Societies and related papers.
- VII. Report and Accounts (1997-98) of Rashtriya Bal Bhavan, New Delhi and related papers.
- VIII. Report and Accounts (1997-98) of various Technical Training Institutes and related papers.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटिल): श्रीमन में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हं:-

ा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में रनातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में रनातकोत्तर उपाधि (एम.एड.डिग्री) की मान्यता के लिए मानदंड तथा शर्ते) विनियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारंभिक साक्षरता विभाग) की अधिसूचना फा.सं. -28-2/98-99 दिनांक 13.2.1999 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल.टी.1059/99]